

प्रेषक,

कमल किशोर सोन,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,  
गुमला।

राँची, दिनांक- 08-12-17

विषय:-

स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2053-जिला प्रशासन, लघुशीर्ष-094-अन्य स्थापनाएँ, उपशीर्ष-01-अवर प्रमंडलीय स्थापना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु विभिन्न इकाई में ₹42,06,600/- (बयालिस लाख छः हजार छः सौ रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,


उपायुक्त, गुमला से प्राप्त अधियाचना के आलोक में विषयांकित शीर्षान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न इकाई में ₹42,06,600/- (बयालिस लाख छः हजार छः सौ रुपये) मात्र की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती है:-

वेतन 40S205200092 040101	देशीय यात्रा भत्ता 40S205200092 040101	कार्यालय व्यय 40S205200092 040101	दूरभाष 40S2052000920 40101	वर्दी 40S2052000920 40101	मोटरगाड़ी, ईंधन एवं मरम्मत 40S2052000920 40101	कुल योग
3500000	200000	150000	66,600	40000	250000	4206600


- इस राशि का ऑन लाईन आवंटन भी दिया गया है। (DDO Code-GMLDAD 002)
- यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-113/बजट, दिनांक-27.02.2017 एवं पत्रांक-368, दिनांक-23.08.2017 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।
- वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।
- वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।
- आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या-40 के अतिरिक्त विपत्र कोड का स्पष्ट उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
8. अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-15.03.2018 तक अवश्य कर दिया जाय।
9. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

  
(कमल किशोर सिंह)  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 112/31/18 राँची, दिनांक-08-12-17  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / जिला कोषागार पदाधिकारी, गुमला को  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव